न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/527 दर्ज तिथिः–02.12.2024

1. गेनाराम पुत्र मंजीराम
   जाति भील निवासी पादरड़ी कला पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी बाडमेर।

........................वादी

बनाम

1. करनाराम पुत्र रिड़मल
2. भीमाराम पुत्र रिड़मल
3. अणछी पत्नी रिड़मल
4. गणेशा पुत्र भारता
5. गेना पुत्र भारता
6. लाखा पुत्र भारता
7. प्रागा पुत्र धूका
   जाति भील निवासी पादरड़ी कला पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.......................असल प्रतिवादी

8. शाखा प्रबंधक एस0बी0आई0/एस0बी0बी0जे0 शाखा गुड़ामालानी
9. शाखा प्रबंधक बा.स.भू.वि. शाखा बालोतरा
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुडामालानी जिला बाड़मेर।

...............तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीः– श्री बाबूलाल विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–ःनिर्णयः–

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.06 12:37:57 IST
Reason: SelfAttested

वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 19/7.0334 है0 मौजा पादरड़ी, 124/15.0219 है0, 125/6.6611 है0, 143/3.5531 है0 मौजा पादरड़ी कला पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्से निश्चित व निर्धारित होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। इससे प्रार्थीगण के हकों पर नकारात्मक असर होगा। इस प्रकार दौरान–ए–वाद उक्त आराजी पर रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 07 के अतिरिक्त अन्य अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामिल हाजा न्यायालय नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 07 ने प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस करते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा संख्या 19/7.0334 है0 मौजा पादरड़ी, 124/15.0219 है0, 125/6.6611 है0, 143/3.5531 है0 मौजा पादरड़ी कला पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान में प्रार्थी और अप्रार्थी दोनो संयुक्त खातेदार है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रत्येक इंच हिस्से पर सभी संयुक्त खातेदारों का शामिल स्वामित्व व कब्जा होता हैं। साथ ही कोई भी संयुक्त खातेदार किसी अन्य खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः इन आधारों पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिल–ए–खारिज है।

3. प्रकरण में उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी/प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्से निश्चित व निर्धारित होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी/अप्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संयुक्त खातेदारों के विरूद्ध एकपक्षीय निषेधाज्ञा प्राप्त की है। अतः इन आधारों पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिल–ए–खारिज है।

4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। उपरोक्त विधिक प्रावधान के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथमदृष्टया विवाद, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.06 12:37:57 IST
Reason: SelfAttested

अपूर्णनीय क्षति होने के साथ प्रार्थी का आचरण बेदाग होना आवश्यक है। उक्त संदर्भ में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

5. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्से निश्चित व निर्धारित होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण संयुक्त आराजी के बिना विभाजन करवाए मौके पर सहकाश्तकारों के कब्जे में दखल देने तथा सहकाश्तकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को मौके पर संयुक्त आराजी के किसी विशेष भाग का बेचान कर कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही संयुक्त आराजी के मौके पर सहखातेदारों के मौके पर किसी हिस्सा विशेष पर कब्जा व हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है। जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य—सबूत लेकर ही किया जा सकता है।

6. प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूर्णनीय क्षति को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्से निश्चित व निर्धारित होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण संयुक्त आराजी के बिना विभाजन करवाए मौके पर सहकाश्तकारों के कब्जे में दखल देने तथा सहकाश्तकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को मौके पर संयुक्त आराजी के किसी विशेष भाग का बेचान कर कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही संयुक्त आराजी के मौके पर सहखातेदारों के मौके पर किसी हिस्सा विशेष पर कब्जा व हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। दौरान—ए—वाद विवादग्रस्त आराजी के किसी हिस्सा विशेष के अंतरण होने एवं वाद के निर्णय के पश्चात् वादी के पक्ष में प्रकरण बनने की स्थिति में विवादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है। साथ ही इससे वादों की बहुलता में भी वृद्धि सम्भावित है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति उत्पन्न होना प्रतीत होता है।

7. प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्से निश्चित व निर्धारित होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण संयुक्त आराजी के बिना विभाजन करवाए मौके पर सहकाश्तकारों के कब्जे में दखल

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.06 12:37:57 IST
Reason: SelfAttested

देने तथा सहकाश्तकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को मौके पर संयुक्त आराजी के किसी विशेष भाग का बेचान कर कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही संयुक्त आराजी के मौके पर सहखातेदारों के मौके पर किसी हिस्सा विशेष पर कब्जा व हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। दौरान—ए—वाद विवादग्रस्त आराजी के किसी हिस्सा विशेष के अंतरण होने एवं वाद के निर्णय के पश्चात् वादी के पक्ष में प्रकरण बनने की स्थिति में विवादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी के अंतरण पर रोक लगाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

8. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ताफैसल वाद संख्या 2024/526 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर उभयपक्षकारान को मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी व पुष्ट की जाती है।

आज 29.08.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.06 12:37:57 IST
Reason: SelfAttested